>

Title: Introduction of the Lok Pal Bill, 2011.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of the institution of Lokpal to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have received a notice from the Leader of Opposition, Shrimati Sushma Swaraj seeking my permission to raise Constitutional objection on the introduction of the Lokpal Bill.

I would like to inform that as per the provision of sub-rule (2) of rule 72 of the Rules of Procedure, notice to oppose introduction of a Bill should specify clearly and precisely the objections to be raised. The hon. Leader of Opposition has not mentioned in her notice the Constitutional objection which she wants to raise. However, she mentioned it to me later.

However, as the subject matter of the Bill is important, I am permitting her to raise the objection very briefly as a special case.

Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of the institution of Lokpal to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto."

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे नियम 72 के अंतर्गत लोकपाल विधेयक के पुरःस्थापन के समय अपनी आपत्ति जताने की अनुमति दी है। अध्यक्ष जी, मैं अपनी सीमाएं जानती हूं नियम 72 के अंतर्गत यदि लेजिस्लेटिव काम्पिटेंस के आधार पर आपत्ति जताई जाए तो विस्तृत चर्चा हो सकती है वरना अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहनी पड़ती है। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगी, लेकिन बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इसीलिए कहना चाहती हूं।

मेरी आपत्ति सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेकर नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि बिल का विषय ऐसा है जिस पर सरकार बिल बना सकती है। हमने भी एनडीए के कार्यकाल में बिल बनाया था। लेकिन मेरी आपत्ति संविधान के उल्लंघन की है। मेरी आपत्ति इस देश के क्रिमिनल लॉ की स्कीम के उल्लंघन की है। मेरी आपत्ति यह है कि भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। उसकी निगाह में न कोई कम है न ज्यादा, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। इसी के आधार पर हमारे यहां क्रिमिनल लॉ की स्कीम बनाई गई और किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को इम्युनिटी नहीं दी गई। यह कहा गया कि सब बराबर हैं। हमारे यहां क्रिमिनल लॉ दो चीजों आईपीसी और सीआरपीसी से गवर्न होता है। आईपीसी में किसी तरह की इम्युनिटी प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट इस देश ने बनाया। भ्रÂटाचार से लड़ने के सबसे बड़े इस विधेयक में प्राइम मिनिस्टर को कोई इम्युनिटी नहीं है। लेकिन मुझे दुख हुआ, जिसके कारण मुझे आपत्ति जतानी पड़ी। पहली बार आजादी के बाद हम एक विधेयक ऐसा ला रहे हैं, जिसकी धारा दो में जहां परिभाÂाएं लिखी हैं, वहां मिनिस्टर की परिभाÂाा देते समय लिखा गया है कि 'Minister means a Union Minister, but does not include the Prime Minister.' यह है इसका प्रावधान, जिसमें कहा है कि मंत्री का मतलब है केन्द्र का कोई भी मंत्री। लेकिन प्रधान मंत्री इसके दायरे में नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता कि यह तर्क कहां से आया। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हुआ होली कॉऊ कैसे हो सकता है। आईपीसी के तहत उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो सकता है। प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया जा सकता है। लेकिन यह लोकपाल बिल, जो स्पेशल इंवैस्टीगेशन एजेंसी के तौर पर बनाया जा रहा है, इसमें प्रधान मंत्री को बाहर क्यों रखा जा रहा है?

मैं याद दिलाना चाहती हूं जिस समय हमने यह बिल बनाया था, यह बहस तब भी उठी थी। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि उस समय के हमारे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वाक्य कहकर उस बहस को समाप्त कर दिया था कि अगर मैं इस दायरे में नहीं होऊंगा, अगर प्रधान मंत्री इसके दायरे में नहीं होगा, तो विधेयक निÂप्रभावी हो जाएगा। इसी के साथ वह बहस बंद हो गई थी। हमने जो बिल बनाया, उसमें प्रधान मंत्री थे। आज प्रणब दादा यहां बैठे हैं, वह बिल स्टेंडिंग कमेटी को गया था। हमने वह बिल स्टेंडिंग कमेटी आफ होम को भेजा था। उस समय स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन स्वयं प्रणब दादा थे। उन्होंने उस स्कीम को मंजूर किया था और कहा था कि प्रधान मंत्री लोकपाल के दायरे में होने चाहिए। मुझे खुशी है कि आज के प्रधान मंत्री ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैं इसमें रहना चाहता हूं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके सहयोगी मना क्यों कर रहे हैं, केबिनेट उनकी बात सुन क्यों नहीं रही हैं? इसलिए मेरी आपत्ति है कि भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है। भारत का क्रिमिनल लॉ किसी को इम्युनिटी प्रदान नहीं करता है, उन तमाम का उल्लंघन करते हुए यह विधेयक यहां लाया गया है। हमारी आपत्तियां तो अनेक हैं। इस बिल को प्रभावी बनाने के लिए बहुत से संशोधनों की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि 72 की धारा 2 के तहत मुझे संक्षेप में अपनी बात कहनी है। इसलिए प्रमुख तौर पर मैं यह आपत्ति उठा रही हूं और कह रही हूं कि बिल में महज इतना संशोधन करके लाएं कि प्रधान मंत्री भी मंत्री के रूप में शामिल

किए जाएंगे। कल हमारे सामने ले आएं, हम इस बिल को यहां इंट्रोडयूस करने की अनुमति दे देंगे, लेकिन इस रूप में हम बिल को पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दे सकते।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदया: आपने नोटिस नहीं दिया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): बिना नोटिस दिए आप इस पर नहीं बोल सकते। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं एक मिनट ही लूंगा।

SHRI V. NARAYANASAMY: You have to give notice.

MADAM SPEAKER: There is no notice. I have not received any notice.

SHRI V. NARAYANASAMY: Under the rules notice has to be given....(*Interruptions*). I would like to say that the Bill has now been submitted for the consideration of the House. In fact, the hon. Leader of Opposition also has said that the Prime Minister himself offered to be within the purview of the Bill. After that, the Cabinet took the decision and the Bill has been already in the domain...(*Interruptions*)

The Bill will go to the Standing Committee. Now that the Bill is the property of the House, when we discuss it in the House, the House is supreme and whatever the House decides is going to be final. Therefore, on this issue the objection cannot be sustained.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I would like to just clarify one point because this is a constitutional issue. Response to the objection raised has been given. As Sushma-ji has brought my name, it is true that I was the Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Home in 2001 when the Lokpal Bill was referred to the Standing Committee. As the Chairman of the Standing Committee, I placed the Report of the Committee on the Lokpal Bill on the Table of the House on 16.2.2002. What I want to know from her is what prevented the then Government – they had full two years of 2002 and 2003 – from bringing this Bill. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of the institution of Lokpal to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The Minister may introduce the Bill.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I introduce*the Bill.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.20 p.m.

12.24 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Twenty Minutes

past Fourteen of the Clock.

12.24 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twenty-Four Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)